संख्या/16 ग्रा0क0 /18(1)/2007

प्रेषक,

एन0एस0नपलच्याल,
प्रमुख सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवामें,

जिलाधिकारी,
हरिद्वार।

राजस्व विभाग

देहरादूनः दिनांक 07 अक्टूबर, 2007

विषयः—मै0 आर्किड कैमिकल्स एवं फार्मास्यूटिकल्स को फार्मास्यूटिकल उद्योग की स्थापना हेतु तहसील रूड़की के ग्राम गदरजुड्डा में कुल 3.7417 है0 भूमि क्रय करने की अनुमति प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र सं0— 13/भूमि व्यवस्था—भू0क्र0 दिनांक 25 जनवरी, 2007 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल महोदय मै0 आर्किड कैमिकल्स एवं फार्मास्यूटिकल्स को फार्मास्यूटिकल उद्योग की स्थापना हेतु उत्तरांचल(उ0प्र0 जमींदारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम, 1950) (अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2001) (संशोधन) अधिनियम, 2003 दिनांक 15—1—2004 की धारा— 154(4)(3)(क)(V) के अन्तर्गत तहसील रूड़की के ग्राम गदरजुड्डा के खाता सं0—98 में खसरा नं0— 258म, 258 रकबा 2.2736 है0 भूमि के खातेदार श्री सीताराम पुत्र नन्दू निवासी सैदपुरा एवं खाता सं0—369 में खसरा नं0 307, 308 रकबा 1.4681 है0 भूमि के खातेदार श्री इन्द्रसिंह पुत्र श्री रघुबीर निवासी ग्राम गदरजुड्डा के नाम वर्ग 1(क) संक्रमणीय भूमिधरी में दर्ज अभिलेख हैं, को कुल 3.7417 है0 भूमि आर्किड कैमिकल्स एवं फार्मास्यूटिकल्स की स्थापना हेतु भूमि क्रय करने की अनुमति निम्नलिखित प्रतिबन्धों के साथ प्रदान करते हैं:—

1— क्रेता धारा—129—ख के अधीन विशेष श्रेणी का भूमिधर बना रहेगा और ऐसा भूमिधर भविष्य में केवल रा ज्य सरकार या जिले के कलेक्टर, जैसी भी स्थिति हो, की अनुमति से ही भूमि क्रय करने के लिये अर्ह होगा।

2— क्रेता बैंक या वित्तीय संस्थाओं से ऋण प्राप्त करने के लिये अपनी भूमि बन्धक या दृष्टि बन्धित कर सकेगा तथा धारा—129 के अन्तर्गत भूमिधरी से प्राप्त होने वाले अन्य लाभों को भी ग्रहण कर सकेगा।

......(2)

3- क्रेता द्वारा क्रय की गयी भूमि का उपयोग दो वर्ष की अवधि के अन्दर, जिसकी गणना भूमि के विक्रय विलेख के पंजीकरण की तिथि से की जायेगी अथवा उसके बाद ऐसी अवधि के अन्दर जिसको राज्य सरकार द्वारा ऐसे कारणों से जिन्हें लिखित रूप में अभिलिखित किया जायेगा, उसी प्रयोजन के लिये करेगा जिसके लिये अनुज्ञा प्रदान की गयी है। यदि वह ऐसा नहीं करता अथवा उस भूमि का उपयोग जिसके लिये उसे स्वीकृत किया गया था, उससे भिन्न प्रयोजन के लिये विक्रय, उपहार या अन्यथा भूमि का अन्तरण करता है तो ऐसा अन्तरण उक्त अधिनियम के प्रयोजन हेतु शून्य हो जायेगा और धारा-167 के परिणाम लागू होंगे।

4- जिस भूमि का संक्रमण प्रस्तावित है उसके भूस्वामी अनुसूचित जनजाति के न हों और अनुसूचित जाति के भूमिधर होने की स्थिति में भूमि क्रय से पूर्व सम्बन्धित जिलाधिकारी से नियमानुसार अनुमति प्राप्त की जायेगी।

5- जिस भूमि का संक्रमण प्रस्तावित है उसके भूस्वामी असंक्रमणीय अधिकार वाले भूमिधर न हों।

6- शासन द्वारा दी गई भूमि क्रय की अनुमति शासनादेश निर्गत होने की तिथि से 180 दिन तक वैध रहेगी।

7- प्रस्तावित उद्योग का निर्माण कार्य राज्य औद्योगिक विकास प्राधिकरण (सीडा)-2005 के अन्तर्गत GIDCR में उल्लिखित शर्तों के अधीन होगा।

8- क्रय की जाने वाली भूमि का भू-उपयोग नियमानुसार औद्योगिक में परिवर्तित कराकर निर्धारित नीति/मार्गदर्शी सिद्धान्तों के अन्तर्गत प्रचलित नियमों/मानकों एवं भवन उपविधियों के अन्तर्गत नियमानुसार कार्यवाही करते हुए औद्योगिक प्रयोजन हेतु भवन निर्माण का प्लान सक्षम अधिकारी से स्वीकृत कराने के पश्चात ही प्रस्तावित स्थल पर निर्माण कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।

9- प्रस्तावित उद्योग में उत्तराखण्ड मूल के बेरोजगारों को 70 प्रतिशत से अधिक रोजगार उपलब्ध कराया जायेगा।

10- इकाई द्वारा क्रय की जाने वाली भूमि का उपयोग मात्र फार्मा(इंजेक्टेबल) उत्पाद के निर्यातकों की स्थापना हेतु किया जायेगा तथा इकाई को स्वयं के संसाधनों से आवश्यक सुविधाओं का विकास करना होगा।

...(3)

11- प्रस्तगत उद्योग की स्थापना के सम्बन्ध में स्पॉट जोनिंग क्षेत्र के लिए निश्चित सिद्धान्त/नीतियों का पूर्णतः पालन किया जायेगा।

12- इकाई में पूंजी निवेश से पूर्व ड्रग कण्ट्रोलर से ड्रग लाईसेन्स, प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड तथा अग्निशमन विभाग आदि विभागों से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त करना होगा।

13- प्रस्तगत इकाई की स्थापना के सम्बन्ध में अनापत्ति मात्र भूमि क्रय व्यवस्था के सन्दर्भ में दी जा रही है। केन्द्रीय औद्योगिक पैकेज के अन्तर्गत देय सुविधाओं/छूट हेतु इकाई की अर्हता स्वतः निर्धारित नहीं करती है, जो इकाई की स्थापना के पश्चात आवेदन करने पर सुसंगत नियमों के अन्तर्गत नियमानुसार निर्धारित की जायेगी।

14- उपरोक्त शर्तों/प्रतिबन्धों का उल्लघंन होने पर अथवा किसी अन्य कारणों से, जिसे शासन उचित समझता हो, प्रस्तगत स्वीकृति निरस्त कर दी जायेगी।

कृपया तदनुसार आवश्यक कार्यवाही करने का कष्ट करें।

भवदीय,

(एन0एस0नपलच्याल)
प्रमुख सचिव।

संख्या एवं तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- मुख्य राजस्व आयुक्त, उत्तराखण्ड, देहरादून
2- प्रमुख सचिव, औद्योगिक विकास विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
3- आयुक्त, गढ़वाल मण्डल, पौड़ी।
4- श्री आई0 एल0 चन्द्रशेखर, वाईस प्रेसिडेन्ट, मे0 आर्किड कैमिस्ट्रस एण्ड फार्मास्यूटिकल्स लि0 नि0-फ्लैट नं0-डी-1, आशोक अगोरा, गांधीनगर, फस्ट मेन रोड, अडियार, चैन्नई।
5- निदेशक एन0आई0सी0, उत्तराखण्ड सचिवालय।
6- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(मंजुल कुमार जोशी)
अपर सचिव।